न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व आवेदन सं. 111 / 2022

प्रार्थीगण –

1. चम्पालाल पुत्र नेनाराम
2. पुखराम पुत्र नेनाराम
3. दौलतराज पुत्र नेनाराम
   जाति माली निवासी वानर चौक के पास गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण –

1. श्रीमती गीतादेवी पुत्री नेनाराम
2. श्रीमती नारायणी पुत्री नैनाराम
   जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी राज कुमार सिंहल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
4. मेहनलाल पुत्र छोगालाल जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
5. प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र चम्पालाल अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
7. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विचाराधीन वाद संख्या 41 / 2008 न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 27.09.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से यह अपील धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा में विचाराधीन वाद संख्या 41 / 2008 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया गया है।

2. प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य यह हैं हस्तगत आवेदन में विचाराधीन वाद वर्ष 2008 से सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभी तक फैसल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई थी किन्तु विप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का दस्तावेज रेकर्ड पर लेने हेतु पेश किया गया जिसे दिनांक 22.08.2022 को स्वीकार करते हुए दस्तावेज रेकर्ड पर लिये गये। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय से स्थानान्तरण कर अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 1 को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष 41 / 2008 विचाराधीन है। प्रकरण में वादिनी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी तथा पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई थी, उसके बाद दिनांक 03.08.2022 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का दस्तावेज रेकर्ड पर लेने का पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.08.2022 को प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर विरोध किया गया तथा उसी दिन दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 22.08.2022 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2022 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी को स्वीकार करते हुए दस्तावेज रेकर्ड पर लिये गये जो विधि विरूद्ध है। प्रतिवादीगण के विरोध को अनदेखा करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विप्रार्थी संख्या 1 के दबाव में रहते हुए अंतिम स्टेज पर विधि विरूद्ध तरीके से दस्तावेज / रेकर्ड लिये गये तथा पत्रावली दिनांक 29.08.2022 को अंतिम बहस हेतु नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पूर्णतया वादिनी के पक्ष में फैसला करने पर प्रयासरत है। लिहाजा उक्त वाद को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण 1 से 3 प्रमाणित अपराधी हैं, उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ से जमानत प्राप्त हैं तथा सिविल न्यायालय बालोतरा में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने 15–20 व्यक्तियों के झुंड के साथ मुझे व मेरे पति को बंदी बनाकर धमकी, गाली–गलौच, अपशब्द कहे। प्रार्थीगण ने तहसील पचपदरा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी व हस्ताक्षर बदल किये हैं जिसकी जांच बालोतरा एवं पचपदरा थाने में लम्बित है। इनका उद्देश्य हस्तगत वाद को लम्बित करना, मेरी हत्या करना, हमला करना, वाद निस्तारण में बाधा डालना, नुकसान पहुंचाना, प्रताड़ना करना, मानसिक कष्ट देना व प्रभाव का प्रयोग कर मिथ्या कथन कर अनुचित आदेश पारित कराना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा टिप्पणी भिजवाते हुए अवगत कराया कि वादीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादीगण मेरी हत्या करना, हमला करना, वाद निस्तारण में बाधा डालना, नुकसान पहुंचाना, प्रताड़ना करना, मानसिक कष्ट देना चाहते हैं। वादीनी द्वारा मानसिक पीड़ा में बताते हुए अवांछनीय घटना घटित होने की संभावना जाहिर की गई हैं। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने का श्रम करावें।

7. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलौच्य अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में वाद संख्या 41 / 2008 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई। विप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का दस्तावेज रेकर्ड पर लेने हेतु पेश किया गया जिसे दिनांक 22.08.2022 को स्वीकार करते हुए दस्तावेज रेकर्ड पर लिये गये। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय से स्थानान्तरण कर अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है। प्रकरण वर्ष 2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

में दर्ज होकर निस्तारण के अंतिम प्रक्रम में वर्तमान में बहस हेतु विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा महज प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर वाद कार्यवाही को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वाद के अवलोकन से पीठासीन अधिकारी किसी भी रूप में किसी पक्ष विशेष के प्रति पक्षधर होना प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वाद के इस अंतिम प्रक्रम में अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:33 IST
Reason: SelfAttested